न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– शैलेश खैरवा (आर.ए.एस.), उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

प्रकरण सं.– 27 / 2022

उनवान

भैराराम बनाम ओमप्रकाश वगै0

1. भैराराम दतक पुत्र मामराज जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू । **वादी**

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
2. चिरजीलाल पुत्र राजाराम जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
3. जगदीश पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
4. पायल पुत्री सत्यनारायण जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
5. बजरंग पुत्र हनुमान जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
6. बदामी पुत्री रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
7. बनारसी पुत्री रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
8. बशेसरलाल पुत्र शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
9. बालकिशन पुत्र बशेसरलाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
10. बिमला देवी पत्नी सत्यनारायण जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
11. विशम्भरलाल पुत्र शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
12. भंवरी पुत्री रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
13. मनोज पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
14. रेणु पुत्री सत्यनारायण जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
15. रमेश कुमार पुत्र राजाराम जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
16. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र शिशपाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
17. श्रीभगवान पुत्र गिरधारी जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।

उपखण्ड अधिकारी

18. विजयसिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जीत की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू।
19. श्रीचन्द पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी जीत की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू।
20. शिवम गोयनका पुत्र सुनिल गोयनका जाति महाजन संगम होटल के पास तहसील व जिला झुन्झुनू।
21. शिशराम पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
22. सुदीप पुत्र सत्यनारायण जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
23. सन्तरा पुत्री रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
24. सुनिल कुमार पुत्र प्रभातीलाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
25. सुभाष पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
26. सुरेन्द्र पुत्र रामदेवा जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
27. सुरेश कुमार पुत्र गिरधारीलाल जाति जांगिड़ निवासी जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) तहसील व जिला झुन्झुनू ।
28. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पीरूसिंह सर्किल झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू जरिये मैनेजर।
29. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील व जिला झुन्झुनू।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषक गण :—

1. श्री विनोद कुमार गिल — वादी की ओर से।
2. श्री जयप्रकाश पूनिया — प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक : 16-08-2022

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ग्राम जीवा का बास (हमीरवास रिजाणी) का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। ग्राम हमीरवास रिजाणी पटवार हल्का नयासर में वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 27 की सह खातेदारी की भूमि स्थित है जिसके वर्तमान ख.न 144 रकबा 0.01 हैक्टर, ख.न. 145 रकबा 0.01 हैक्टर, 146 रकबा .01 हैक्टर, ख. न. 147 रकबा .01 हैक्टर, ख.न. 151 रकबा .86 हैक्टर, ख.न. 158 रकबा .06 हैक्टर, ख.न. 162 रकबा .92 हैक्टर, ख.न. 169 रकबा 1.58 हैक्टर, ख.न.170 रकबा .10 हैक्टर, ख.न. 171 रकबा .46 हैक्टर, ख.न. 21 रकबा 1.55 हैक्टर, ख.न. 211 रकबा .02 हैक्टर, ख.न. 212 रकबा .02 हैक्टर, ख.न. 213 रकबा .02 हैक्टर, ख.न. 214 रकबा 4.39 हैक्टर, ख.न. 22 रकबा 1.41 हैक्टर, ख.न. 261 रकबा .61 हैक्टर, ख.न. 262 रकबा .41 हैक्टर, ख.न. 263 रकबा .39 हैक्टर, ख.न. 264 रकबा 1.30 हैक्टर, ख.न. 265 रकबा .60 हैक्टर, ख.न. 28 रकबा .05 हैक्टर, ख.न. 29 रकबा .04 हैक्टर, ख.न. 30 रकबा .43 हैक्टर

कुल खसरा 24 कुल रकबा 15.26 हैक्टर भूमि स्थित है। वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि पूर्व में हीरालाल, मामराज, हनुमानाराम, गिरधारीलाल व शिशपाल की खातेदारी की भूमि थी इसलिये उक्त भूमि पैत्रिक भूमि है वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 लगायत 17 व 21 लगायत 27 हीरालाल, मामराज, हनुमान, गिरधारीलाल व शिशपाल के वारिसान है।वादी हनुमानाराम का जायन्दा पुत्र था। मामराज हनुमानाराम का सगा भाई था जिसके कोई सन्तान नहीं थी। मामराज ने व मामराज की पत्नी ने हनुमानाराम व हनुमानाराम की पत्नी के समक्ष वादी को गोद लेने की इच्छा जाहिर की तब हनुमानाराम व हनुमानाराम की पत्नी ने वादी को गोद देने की सहमति दी दिनांक चैत्र सुदी नवमी सम्वत 2015 को गोद देने व लेने की रस्म की गई उक्त दिनांक को वादी को हनुमानाराम व हनुमान की पत्नी ने स्वतंत्र सहमति से वादी को मामराज की पत्नी को गोद दिया। वादी को मामराज की पत्नी की गोद में बैठाया दोनों पक्षकारों ने गोद देना व लेना स्वीकार किया उक्त दिनांक को मामराज के घर पर होम किया गया मंगल गीत गाये गये गुड़ बांटा गया तथा होम करके परिवार के सभी व्यक्तियों को खाना खिलाया गया उस समय वादी की उम्र 8 वर्ष थी। उसके पश्चात वादी का लालन पालन तथा शिक्षा दिलवाने का कार्य तथा वादी का विवाह मामराज व उसकी पत्नी अणचीदेवी ने किया। इस प्रकार वादी मामराज का दतक पुत्र है। वादी के समस्त दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता कार्ड में वादी के पिता की जगह मामराज का ही नाम अंकित है इस प्रकार वादी मामराज का दतक पुत्र है। मामराज का वाद में वर्णित भूमि में 1/5 हिस्सा था मामराज व मामराज की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। वादी मामराज का दत्तक पुत्र है इसलिये वादी वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार हुआ। राजस्व कर्मचारियों ने वादी को गलत रूप से हनुमान का पुत्र दर्शा रखा है उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड से वादी पाबन्द नहीं है उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड को वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी मामराज का दत्तक पुत्र है मामराज का वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/5 हिस्सा था इसलिये वादी वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है।वादी जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये दिनांक 28.12.2021 को बैंक में गया तब बैंक अधिकारियों ने जाहिर किया कि उसके नाम 1/5 हिस्सा नहीं है तब वादी को उक्त गलत बने राजस्व रिकार्ड की जानकारी हुई तब वादकारण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। वादी को हनुमान का पुत्र दर्शित करते हुए 1/25 हिस्सा दर्ज कर रखा है उक्त 1/25 हिस्सा हनुमानाराम के शेष वारीसान में बराबर बराबर बटेगा तथा वादी मामराज के 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः वाद पेशकर निवेदन है कि वाद डिक्री इस अमर का फरमाया जावे कि :– क– घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि वादी को वाद की धारा 1 में वर्णित भूमि में मामराज का दत्तक पुत्र होने से 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे राजस्व रिकार्ड में भैरूराम पुत्र मामराज दर्ज किया जावे। भैरूराम पुत्र हनुमान गलत दर्ज कर रखा है जिसको दुरूस्त किया जावे। ख– अन्य सिद्वि भूल से चाही जानी से रह गई हो तो दफा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी के हक में दिलवाई जावे। ग– खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

विवेचन

उक्तानुसार दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप से होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 व 21 लगायत 27 की ओर से जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि वाद पत्र की सिद्धि की धारा क, ख, ग स्वीकार है तथा वाद वादी डिक्री किये जाने में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादीगण संख्या 18 लगायत 20 की ओर से जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र की सिद्धि की धारा क, ख, ग

स्वीकार है तथा वाद वादी डिक्री किये जाने में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 28 की तामिल विधिवत रूप से हो जाने के उपरान्त न्यायालय में पेश नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य स्वरूप वादी ने अपना चीफ शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों पर प्रदर्श संख्या 1 लगायत 7 डाले गये। वादी द्वारा उनवानी प्रकरण में सजरा पेश किया गया जिसे शामिल मिशल किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा का अवलोकन करने से यह तथ्य जाहिर है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की समस्त धाराओं को स्वीकार किया जाकर वाद वादी दावा की सिद्धी अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सजरे के अवलोकन से यह तथ्य जाहिर है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही वंश वशांवली के है। प्रकरण मे बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रदर्श 1 लगायत 7 का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

निर्णय

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम हमीरवास रिजाणी पटवार हल्का नयासर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 45 कुल खसरा किता 24 रकबा 15.26 हैक्टर में से मामराज पुत्र लालाराम हिस्सा 1/5 के स्थान पर वादी भैराराम दत्तक पुत्र मामराज जाति जांगिड़ को 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। भैराराम पुत्र हनुमान का हिस्सा 1/25 को हजफ किया जाकर हिस्सा 1/25 को हनुमान के विधि वारिसान बजरंगलाल, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, प्रमोद के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। शेष रकबा जमाबंदी बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16-8-22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
उप खण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 नियम 6 एवं 7 जा0दी0)
न्यायालय उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– शैलेश खैरवा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या :– 27 / 2022

उनवान

भैराराम बनाम ओमप्रकाश वगै0

दावा बाबत :– घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती

दिनांक : 16-08-2022

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद गिल व प्रतिवादीगण की ओर से जयप्रकाश पूनिया उपस्थित। इस वाद में आज दिनांक 16-08-2022 को श्री शैलेश खैरवा, उपखंड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम हमीरवास रिजाणी पटवार हल्का नयासर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 45 कुल खसरा किता 24 रकबा 15.26 हैक्टर में से मामराज पुत्र लालाराम हिस्सा 1/5 के स्थान पर वादी भैराराम दत्तक पुत्र मामराज जाति जांगिड़ को 1/5 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने का निर्णय लिया जाता है। भैराराम पुत्र हनुमान का हिस्सा 1/25 को हजफ किया जाकर हिस्सा 1/25 को हनुमान के विधि वारिसान बजरंगलाल, सत्यनारायण, ओमप्रकाश, प्रमोद के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। शेष रकबा जमाबंदी बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 16-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा सहित जारी की गई।

(शैलेश खैरवा)
उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा	4 46	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी दावा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	46
	50		46

उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू